

विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिनांक 02.02.2024 से
04.11.2024 तक जारी किये नियुक्ति आदेश

विवरण	कुल
जारी किये नियुक्ति आदेश	102
कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी	56
कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी	46

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा विभाग
विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दी गई नियुक्तियाँ

क्र.सं.	नव नियुक्त अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	तहसील	जिला
1	MANSUKH LAL	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गनौड़ा,	घाटोल	बांसवाड़ा
2	UTTAM TIWARI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सैदपुरा,	उच्चैन	भरतपुर
3	YOGENDRA SINGH	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सैसड़ा,	रियाबडी	नागौर
4	MANISH SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बौली,	बौली	सवाईमाधोपुर
5	SONU	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बेवड़,	राजगढ	चुरु
6	SONAM KANWAR	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., श्रीरामपुरा,	लालसोट	दौसा
7	TAPESH SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., इन्द्रोली,	कामां	डीग
8	NEHA CHOUDHARY	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटकासिम,	कोटकासिम	खैरथल तिजारा
9	SUNIL	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बसेड़ी,	बसेड़ी	धौलपुर
10	JAYSHREE SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गाडवाला,	बीकानेर	बीकानेर
11	SANWAR MAL NAI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., रायसिंहपुरा,	नोहर	हनुमानगढ
12	ASHOK KUMAR KUMAWAT	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोतीपुरा,	बकानी	झालावाड
13	DEEPAK KUMAR VERMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., खण्डेला,	खण्डेला	सीकर
14	MANISHA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 5 सीएचएम, काकड़वाला,	लूणकरणसर	बीकानेर
15	UPADHYAY RANJANAKUMARI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सांगरिया,	शाहपुरा	शाहपुरा
16	DEVISHANKAR GURJAR	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., तारानगर,	तारानगर	चुरु
17	LALIT JALTHANIYA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., तीतरिया,	चाकसू	जयपुर ग्रामीण
18	BHOMA RAM	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., जायल,	जायल	नागौर
19	SHERA RAM	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., फलोदी,	फलोदी	फलोदी
20	NISHA MEENA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., हिण्डोली,	हिण्डोली	बून्दी
21	PINKY SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., थोरिया,	कुम्भलगढ	राजसमन्द
22	RAKHI DEWARA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कांवट,	खण्डेला	सीकर
23	ARCHANA MEENA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., करिरीया,	निवाई	टोंक
24	PAVITRA BHATI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., काठाड़ी,	सिवाना	बालोतरा
25	PRIYANKA MEENA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., जालिया ा,	मसूदा	ब्यावर
26	JAINENDRA BHARTI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गालदकलां,	बौली	सवाईमाधोपुर
27	ANUPRIYA TRIPATHI	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बरौलीधाऊ,	कामां	डीग
28	VIMLESH KUMAR SHARMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., हरनाथपुरा,	बसवा	दौसा
29	RAMESH KUMAR	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., लूदी झाबर,	राजगढ	चुरु
30	SUNIL KUMAR SHARMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बहरावण्डा,	सिकराय	दौसा

31	GOVIND NARAYAN SHARMA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., तलाबगांव,	लालसोट	दौसा
32	VYANKTESH KUMAR BHARADWAJ	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., करिरिया,	निवाई	टोंक
33	BRIJRAJ BHARDWAJ	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बसेड़ी	बसेड़ी	धौलपुर
34	KRISHAN VAISHNAV	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., मीणों की झोंपड़ी,	उनियारा	टोंक
35	DEEPA SHARMA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., देवनवाड़ा,	नांगल राजावतान	दौसा
36	UDAY SHARMA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., नीम का थाना,	नीम का थाना	नीम का थाना
37	GAJENDRA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., काठाड़ी,	सिवाना	बालोतरा
38	ASHOK KUMAR	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., तारानगर,	तारानगर	चुरु
39	DINESH CHOUDHARY	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., लाम्बा जाटान,	मेडता	नागौर
40	RAM RATAN	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोगास,	डेगाना	नागौर
41	MAUSAM KUMHAR	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., विराटनगर,	विराटनगर	कोटपूतली बहरोड
42	KASHMEER SINGH	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., 5 सीएचएम, कांकडवाड़ा,	लूणकरणसर	बीकानेर
43	BHARAT LAL BAIRWA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बड़ाबास बालाहेडा,	बान्दीकुई	दौसा
44	AMARA RAM	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बल्दरा,	सिरोही	सिरोही
45	DHARAM SINGH BAIRWA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटकासिम,	कोटकासिम	खैरथल तिजारा
46	PRASADEE LAL MEENA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., गालदकलां,	बौली	सवाईमाधोपुर
47	DAYARAM MEENA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., पाली,	रैणी	अलवर
48	RAMESH CHAND MEENA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., रैणी,	रैणी	अलवर
49	MANISHA JAIF	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., ओबरी,	सागवाडा	डूंगरपुर
50	BEENA VERMA	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., किशनगढ़ रेनवाल,	कि.रेनवाल	जयपुर ग्रामीण
51	KAILASH KUMAR YADAV	प्राध्यापक—सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., कालच्या,	शाहपुरा	जयपुर ग्रामीण
52	ANUPRIYA TRIPATHI	प्राध्यापक—व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., सूरजगांव,	गलियाकोट	डूंगरपुर
53	SUNITA CHOUDHARY	प्राध्यापक—व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., जसवन्तपुरा,	शाहपुरा	जयपुर ग्रामीण

54	JAI PRAKASH JYANI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 23 बी.बी. पदमपुर,	पदमपुर	श्रीगंगानगर
55	JAI KUMAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सरमथुरा,	सरमथुरा	धौलपुर
56	BUDDHA DAN	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बोरावास,	बालोतरा	बालोतरा
57	PRIYANKA BAI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., नौगांवा,	राजगढ	अलवर
58	KHYALI RAM SAINI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., चिराणा,	नवलगढ	झुंझुनू
59	DASHRATH KUMAR YADAV	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गलोद,	पीपलू	टोंक
60	NARSINGA RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बायतू स्टेशन,	बायतू	बालोतरा
61	DINESH KUMAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कूकणों की ढाणी-घटियाली,	घटियाली	फलौदी
62	KUSUM KUMARI VAISHNAV	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सवीना खेड़ा,	गिर्वा	उदयपुर
63	MAMTA DEVANDA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., विराटनगर,	विराटनगर	कोटपूतली बहरोड
64	JETHA RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., पोकरण,	साकडा	जैसलमेर
65	TOLA RAM JAKHAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बेवड़,	राजगढ	चुरु
66	RESHMA KANWAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोगास,	डेगाना	नागौर
67	DAMARA RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 95 आरडीएस एलडी सुल्ताना	मोहनगढ	जैसलमेर
68	RANI DEVI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेरगढ,	शेरगढ	जोधपुर ग्रामीण
69	PINKI MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटपूतली,	कोटपूतली	कोटपूतली बहरोड
70	RAJENDRA KUMAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., साबूवाना,	टिब्बी	हनुमानगढ
71	SURESH CHAND MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., तलाबगांव,	लालसोट	दौसा
72	KAMALESH KUMARI DHANWANTA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., पाली,	रैणी	अलवर
73	LAXMI CHOUDHARY	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेखसरबास खोडाला,	लूणकरणसर	बीकानेर
74	MUKESH KUMAR TAK	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., नसीराबाद	नसीराबाद	अजमेर
75	DURGA RAM SARGARA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., चौड़ा,	बिलाडा	जोधपुर ग्रामीण
76	RICHHPAL	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., लाम्बा जाटान,	मेडता	नागौर
77	HANUMAN RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 35 एमओडी,	पीलीबंगा	हनुमानगढ
78	BADAM MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., जस्टाना,	बौली	सवाईमाधोपुर
79	RAMGOPAL KUMHAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., चिखली,	चिखली	झुंझुनू
80	RAMESH BAI MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., नई बस्ती सुकार,	बामनवास	गंगापुर सिटी
81	SAVITA GAUR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कुडी भगतासनी आवासन मण्डल,	लूणी	जोधपुर ग्रामीण
82	ADITI DADHICH	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., शिवाजीनगर	किशनगढ	अजमेर
83	KIRAN KANWAR	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मंशारामपुरा,	झोटवाड़ा	जयपुर ग्रामीण

84	GUNJAN GUPTA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., वार्ड नं. 1 विजयनगर,	मसूदा	ब्यावर
85	PRIYA RAJPOOT	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मुण्डरू,	श्रीमाधोपुर	नीम का थाना
86	BHAGYASHREE SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सांगरिया,	शाहपुरा	शाहपुरा
87	SONOO SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., देवनवाड़ा,	नांगल राजावतान	दौसा
88	AMIT KUMAR PAREEK	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., गलोद,	पीपलू	टोंक
89	SUNIL KUMAR SAINI	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., बोरावास,	बालोतरा	बालोतरा
90	BINDIA SAHU	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सीतारामपुरा,	पीपलू	टोंक
91	AVINASH KUMAR BHARDHVAJ	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सुकार,	बामनवास	गंगापुर सिटी
92	MANJU KUMARI	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., रैणी,	रैणी	अलवर
93	ANKIT KUMAR SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मीणों की झोंपड़ियां, बनेटा,	उनियारा	टोंक
94	RAM LAXMAN VAISHNAV	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., महरुकलां,	सावर	केकडी
95	NILAM MEENA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोतीकुआँ,	सुल्तानपुरा	कोटा
96	RAMKESH MEENA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., भानपुरकलां,	जमवारामगढ़	जयपुर ग्रामीण
97	SUMAN MEENA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., हरनाथपुरा,	बसवा	दौसा
98	PRAVEEN KUMAR HARSOLIYA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सामोद,	गोविन्दगढ़	जयपुर ग्रामीण
99	SAROJ KASANA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सारंगपुरा, बड़ के बालाजी	सांगानेर	जयपुर
100	MUKESH KUMAR BALAI	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., थोरिया,	कुम्भलगढ़	राजसमन्द
101	BHAGIRATH MAL VERMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., चक-गोपीनाथपुरा,	दातारामगढ़	सीकर
102	HEMANTKUMAR SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सहनावली,	सेवर	भरतपुर

राजस्थान सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान

विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिनांक 02.02.2024 से 08.03.2024 तक जारी किये नियुक्ति आदेश कुल 102 में से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की सूची 56

क्र.सं.	नव नियुक्त अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	तहसील	जिला	कार्यग्रहण दिनांक
1	SONU	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बेवड़,	राजगढ	चुरु	10/02/2024
2	JAYSHREE SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गाडवाला,	बीकानेर	बीकानेर	03/02/2024
3	SANWAR MAL NAI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., रायसिंहपुरा,	नोहर	हनुमानगढ	07/03/2024
4	MANISHA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 5 सीएचएम, काकड़वाला,	लूणकरणसर	बीकानेर	09/02/2024
5	BHOMA RAM	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., जायल,	जायल	नागौर	05/02/2024
6	NISHA MEENA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., हिण्डोली,	हिण्डोली	बून्दी	12/02/2024
7	PINKY SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., थोरिया,	कुम्भलगढ	राजसमन्द	09/02/2024
8	RAKHI DEWARA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कांवट,	खण्डेला	सीकर	08/02/2024
9	ARCHANA MEENA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., करिरीया,	निवाई	टोंक	24/02/2024
10	JAINENDRA BHARTI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गालदकलां,	बौली	सवाईमाधोपुर	05/02/2024
11	VIMLESH KUMAR SHARMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., हरनाथपुरा,	बसवा	दौसा	19/02/2024
12	RAMESH KUMAR	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., लूदी झाबर,	राजगढ	चुरु	05/02/2024
13	SUNIL KUMAR SHARMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बहरावण्डा,	सिकराय	दौसा	10/02/2024
14	GOVIND NARAYAN SHARMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., तलाबगांव,	लालसोट	दौसा	10/02/2024
15	KRISHAN VAISHNAV	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., मीणों की झोंपड़ी,	उनियारा	टोंक	03/02/2024
16	DEEPA SHARMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., देवनवाड़ा,	नांगल राजावतान	दौसा	07/02/2024
17	UDAY SHARMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., नीम का थाना,	नीम का थाना	नीम का थाना	07/02/2024
18	GAJENDRA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., काठाड़ी,	सिवाना	बालोतरा	06/02/2024
19	ASHOK KUMAR	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., तारानगर,	तारानगर	चुरु	06/02/2024
20	DINESH CHOUDHARY	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., लाम्बा जाटान,	मेडता	नागौर	13/02/2024

21	RAM RATAN	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोगास,	डेगाना	नागौर	10/02/2024
22	KASHMEER SINGH	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., 5 सीएचएम, कांकडवाड़ा,	लूणकरणसर	बीकानेर	10/02/2024
23	BHARAT LAL BAIRWA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बड़ाबास बालाहेडा,	बान्दीकुई	दौसा	05/03/2024
24	AMARA RAM	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बल्दरा,	सिरोही	सिरोही	10/02/2024
25	DHARAM SINGH BAIRWA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटकासिम,	कोटकासिम	खैरथल तिजारा	06/02/2024
26	PRASADEE LAL MEENA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., गालदकलां,	बौली	सवाईमाधोपुर	03/02/2024
27	DAYARAM MEENA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., पाली,	रैणी	अलवर	10/02/2024
28	RAMESH CHAND MEENA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., रैणी,	रैणी	अलवर	07/02/2024
29	BEENA VERMA	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., किशनगढ़ रेनवाल,	कि.रेनवाल	जयपुर ग्रामीण	09/02/2024
30	KAILASH KUMAR YADAV	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., कालच्या,	शाहपुरा	जयपुर ग्रामीण	07/02/2024
31	SUNITA CHOUDHARY	प्राध्यापक-व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., जसवन्तपुरा,	शाहपुरा	जयपुर ग्रामीण	13/02/2024
32	KHYALI RAM SAINI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., चिराणा,	नवलगढ़	झुझुनू	06/02/2024
33	KUSUM KUMARI VAISHNAV	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सवीना खेड़ा,	गिर्वा	उदयपुर	07/02/2024
34	TOLA RAM JAKHAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बेवड़,	राजगढ़	चुरु	08/02/2024
35	PINKI MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटपूतली,	कोटपूतली	कोटपूतली बहरोड	07/02/2024
36	RAJENDRA KUMAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., साबूवाना,	टिब्बी	हनुमानगढ़	07/02/2024
37	SURESH CHAND MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., तलाबगांव,	लालसोट	दौसा	15/02/2024
38	MUKESH KUMAR TAK	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., नसीराबाद	नसीराबाद	अजमेर	19/02/2024
39	SAVITA GAUR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कुडी भगतासनी आवासन मण्डल,	लूणी	जोधपुर ग्रामीण	03/02/2024
40	ADITI DADHICH	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., शिवाजीनगर	किशनगढ़	अजमेर	19/02/2024
41	KIRAN KANWAR	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मंशारामपुरा,	झोटवाड़ा	जयपुर ग्रामीण	23/03/2024
42	GUNJAN GUPTA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., वार्ड नं. 1 विजयनगर,	मसूदा	ब्यावर	24/02/2024
43	BHAGYASHREE SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सांगरिया,	शाहपुरा	शाहपुरा	12/02/2024
44	SONOO SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., देवनवाड़ा,	नांगल राजावतान	दौसा	03/02/2024

45	AMIT KUMAR PAREEK	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., गलोद,	पीपलू	टोंक	03/02/2024
46	AVINASH KUMAR BHARDHVAJ	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सुकार,	बामनवास	गंगापुर सिटी	12/02/2024
47	MANJU KUMARI	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., रैणी,	रैणी	अलवर	05/02/2024
48	ANKIT KUMAR SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मीणों की झोंपड़ियां, बनेटा,	उनियारा	टोंक	14/02/2024
49	RAM LAXMAN VAISHNAV	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., महरुकलां,	सावर	केकडी	07/02/2024
50	RAMKESH MEENA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., भानपुरकलां,	जमवारामगढ़	जयपुर ग्रामीण	10/02/2024
51	SUMAN MEENA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., हरनाथपुरा,	बसवा	दौसा	10/02/2024
52	PRAVEEN KUMAR HARSOLIYA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सामोद,	गोविन्दगढ़	जयपुर ग्रामीण	03/02/2024
53	SAROJ KASANA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सारंगपुरा, बड़ के बालाजी	सांगानेर	जयपुर	10/02/2024
54	MUKESH KUMAR BALAI	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., थोरिया,	कुम्भलगढ़	राजसमन्द	20/02/2024
55	BHAGIRATH MAL VERMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., चक-गोपीनाथपुरा,	दातारामगढ़	सीकर	09/02/2024
56	HEMANTKUMAR SHARMA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सहनावली,	सेवर	भरतपुर	03/02/2024

राजस्थान सरकार

संस्कृत शिक्षा राजस्थान

विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिनांक 02.02.2024 से 08.03.2024 तक जारी किये नियुक्ति आदेश कुल 102 मे से कार्यग्रहण नही करने वाले अभ्यर्थियों की सूची 46

क्र.सं.	नव नियुक्त अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	तहसील	जिला	
1	MANSUKH LAL	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गनौड़ा,	घाटोल	बांसवाड़ा	Not Joined
2	UTTAM TIWARI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सैदपुरा,	उच्चैन	भरतपुर	Not Joined
3	YOGENDRA SINGH	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सैसड़ा,	रियाबडी	नागौर	Not Joined
4	MANISH SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बौली,	बौली	सवाईमाधोपुर	Not Joined
5	SONAM KANWAR	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., श्रीरामपुरा,	लालसोट	दौसा	Not Joined
6	TAPESH SHARMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., इन्द्रोली,	कामां	डीग	Not Joined
7	NEHA CHOUDHARY	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटकासिम,	कोटकासिम	खैरथल तिजारा	Not Joined
8	SUNIL	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बसेड़ी,	बसेड़ी	धौलपुर	Not Joined
9	ASHOK KUMAR KUMAWAT	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोतीपुरा,	बकानी	झालावाड	Not Joined
10	DEEPAK KUMAR VERMA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., खण्डेला,	खण्डेला	सीकर	Not Joined
11	UPADHYAY RANJANAKUMARI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सांगरिया,	शाहपुरा	शाहपुरा	Not Joined
12	DEVISHANKAR GURJAR	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., तारानगर,	तारानगर	चुरु	Not Joined
13	LALIT JALTHANIYA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., तीतरिया,	चाकसू	जयपुर ग्रामीण	Not Joined
14	SHERA RAM	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., फलोदी,	फलोदी	फलोदी	Not Joined
15	PAVITRA BHATI	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., काठाड़ी,	सिवाना	बालोतरा	Not Joined
16	PRIYANKA MEENA	प्राध्यापक-अंग्रेजी	रा.वरि.उपा.सं.वि., जालिया गा,	मसूदा	ब्यावर	Not Joined
17	ANUPRIYA TRIPATHI	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बरौलीधाऊ,	कामां	डीग	Not Joined
18	VYANKTESH KUMAR BHARADWAJ	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., करिरिया,	निवाई	टोंक	Not Joined
19	BRIJRAJ BHARDWAJ	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., बसेड़ी	बसेड़ी	धौलपुर	Not Joined

20	MAUSAM KUMHAR	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., विराटनगर,	विराटनगर	कोटपूतली बहरोड	Not Joined
21	MANISHA JAIF	प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., ओबरी,	सागवाडा	डूंगरपुर	Not Joined
22	ANUPRIYA TRIPATHI	प्राध्यापक-व्याकरण	रा.वरि.उपा.सं.वि., सूरजगांव,	गलियाकोट	डूंगरपुर	Not Joined
23	JAI PRAKASH JYANI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 23 बी.बी. पदमपुर,	पदमपुर	श्रीगंगानगर	Not Joined
24	JAI KUMAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., सरमथुरा,	सरमथुरा	धौलपुर	Not Joined
25	BUDDHA DAN	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बोरावास,	बालोतरा	बालोतरा	Not Joined
26	PRIYANKA BAI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., नौगांवा,	राजगढ	अलवर	Not Joined
27	DASHRATH KUMAR YADAV	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., गलोद,	पीपलू	टोंक	Not Joined
28	NARSINGA RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., बायतू स्टेशन,	बायतू	बालोतरा	Not Joined
29	DINESH KUMAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., कूकणों की ढाणी-घटियाली,	घंटियाली	फलौदी	Not Joined
30	MAMTA DEVANDA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., विराटनगर,	विराटनगर	कोटपूतली बहरोड	Not Joined
31	JETHA RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., पोकरण,	साकडा	जैसलमेर	Not Joined
32	RESHMA KANWAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोगास,	डेगाना	नागौर	Not Joined
33	DAMARA RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 95 आरडीएस एलडी सुल्ताना	मोहनगढ	जैसलमेर	Not Joined
34	RANI DEVI	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेरगढ,	शेरगढ	जोधपुर ग्रामीण	Not Joined
35	KAMALESH KUMARI DHANWANTA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., पाली,	रैणी	अलवर	Not Joined
36	LAXMI CHOUDHARY	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेखसरबास खोडाला,	लूणकरणसर	बीकानेर	Not Joined
37	DURGA RAM SARGARA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., चौढा,	बिलाडा	जोधपुर ग्रामीण	Not Joined
38	RICHHPAL	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., लाम्बा जाटान,	मेडता	नागौर	Not Joined
39	HANUMAN RAM	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., 35 एमओडी,	पीलीबंगा	हनुमानगढ	Not Joined

40	BADAM MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., जस्टाना,	बौली	सवाईमाधोपुर	Not Joined
41	RAMGOPAL KUMHAR	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., चिखली,	चिखली	डूंगरपुर	Not Joined
42	RAMESH BAI MEENA	प्राध्यापक-हिन्दी	रा.वरि.उपा.सं.वि., नई बस्ती सुकार,	बामनवास	गंगापुर सिटी	Not Joined
43	PRIYA RAJPOOT	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मुण्डरू,	श्रीमाधोपुर	नीम का थाना	Not Joined
44	SUNIL KUMAR SAINI	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., बोरावास,	बालोतरा	बालोतरा	Not Joined
45	BINDIA SAHU	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., सीतारामपुरा,	पीपलू	टोंक	Not Joined
46	NILAM MEENA	प्राध्यापक-साहित्य	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोतीकुआँ,	सुल्तानपुरा	कोटा	Not Joined

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/





जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' /प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/अंग्रेजी/RPSC/2022-23/935 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-अंग्रेजी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-अंग्रेजी

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	1		MANSUKH LAL	RAMESHWAR LAL	M	23-Sep-93	BC	GENM			SRI GANGANAGAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., गनौड़ा,	घाटोल	बांसवाड़ा
														
2	2		UTTAM TIWARI	HANUMAN PRASAD TIWARI	M	22-Aug-94	BC	GENM				रा.वरि.उपा.सं.वि., सैदपुरा,	उच्चैन	भरतपुर
														

Signature Not Verified











Digitally Signed by Suresh Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:23:13 IST











Reason: Approved

3	4	 	MANISH SHARMA	RAMRAJ SHARMA	M	11-Jul-96	GE,EWS	GENM			NAGAU	रा.वरि.उपा.सं.वि., बौली,	बौली	सवाईमाधोपुर
4	6	 	SONAM KANWAR	VIJENDRA SINGH	F	05-Jul-97	GE,WE,EWS	GENM	एकल		KARAU	रा.वरि.उपा.सं.वि., श्रीरामपुरा,	लालसोट	दौसा
5	7	 	TAPESH SHARMA	ANIL SHARMA	M	05-Jan-96	GE	GENM			SIKAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., इन्द्रोली,	कामां	डीग
6	8	 	NEHA CHOUDHARY	SURAJ SINGH DIDAL	F	21-Feb-96	BC,WE	GENF	एकल		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटकासिम,	कोटकासिम	खैरथल तिजारा
7	9	 	SUNIL	DURGA RAM	M	09-Jan-98	BC	OBCM			PALI	रा.वरि.उपा.सं.वि., बसेडी,	बसेडी	धौलपुर

RajKaj Ref
5495875

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:13 IST
Reason: Approved

8	12	 	ASHOK KUMAR KUMAWAT	NANU RAM KUMAWAT	M	20-Nov-92	BC	OBCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोतीपुरा,	बकानी	झालावाड
9	13	 	DEEPAK KUMAR VERMA	HEERA LAL VERMA	M	11-May-98	SC	SCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., खण्डेला,	खण्डेला	सीकर
10	16	 	DEVISHANKAR GURJAR	RADHESHYAM GURJAR	M	28-Jan-96	MB	MBCM		SAWAIMADHOPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., तारानगर,	तारानगर	चुरू
11	17	 	LALIT JALTHANIYA	RAMLAL JALTHANIYA	M	10-Jun-98	SC	SCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., तीतरिया,	चाकसू	जयपुर ग्रामीण
12	24	 	PAVITRA BHATI	RANJEET SINGH BHATI	F	16-Feb-88	GE,WE,LD	GENF LD		PALI	रा.वरि.उपा.सं.वि., काठाडी,	सिवाना	बालोतरा

RajKaj Ref
5495875

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:13 IST
Reason: Approved

13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

विशेष- विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः ये अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित होंगे। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करावायें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक- 13.02.2024** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरु)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसको संबंधित संस्था में भेजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

RajKaj Ref
5495875

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:13 IST
Reason: Approved

आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/



जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' /प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/अंग्रेजी/RPSC/2022-23/935 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-अंग्रेजी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मानक उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-अंग्रेजी

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	3	 <i>Yogendra</i>	YOGENDRA SINGH	BHAGWAN SINGH	M	24-May-98	GE,EWS	GENM			NAGOUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सैसड़ा,	रियाबडी	नागौर
2	5	 <i>Sonu</i>	SONU	RAM KISHAN	F	01-Jan-92	GE,EWS	GENM			CHURU	रा.वरि.उपा.सं.वि., बेवड़,	राजगढ	चुरु






Signature Not Verified

Digitally Signed by Suresh Kumar

Ola

Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:22 IST











Reason: Approved

3	10	 <i>Jayshree</i>	JAYSHREE SHARMA	KANAIYA LAL SHARMA	F	10-May-99	GE,WE,EWS	EWSM			BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., गाडवाला,	बीकानेर	बीकानेर
4	11	 <i>Sanwar</i>	SANWAR MAL NAI	SANJAY KUMAR NAI	M	05-May-92	BC	OBCM			BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., रायसिंहपुरा,	नोहर	हनुमानगढ
5	14	 <i>Manisha</i>	MANISHA	MUNIRAM BISHNOI	F	01-Jan-99	BC,WE,RG	OBCF		एकल	BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., 5 सीएचएम, काकड़वाला,	लूणकरणसर	बीकानेर
6	15	 <i>Ranjanakumar</i>	UPADHYAY RANJANAKUMAR I	GOPALLAL	F	01-Jun-95	GE,WE,EWS	EWSM			BHILWARA	रा.वरि.उपा.सं.वि., सांगरिया,	शाहपुरा	शाहपुरा
7	18	 <i>Bhoma Ram</i>	BHOMA RAM	ANADA RAM	M	02-Jul-79	BC,EX	OBCM EX			NAGAUER	रा.वरि.उपा.सं.वि., जायल,	जायल	नागौर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495846


Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:22 IST
Reason: Approved

8	19	 	SHERA RAM	MANGI LAL	M	01-Sep-91	SC, RG	SCM			JODHPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., फलोदी,	फलोदी	फलोदी
9	20	 	NISHA MEENA	MANOJ KUMAR MEENA	F	05-Jan-92	ST, WE	STM			BUNDI	रा.वरि.उपा.सं.वि., हिण्डोली,	हिण्डोली	बून्दी
10	21	 	PINKY SHARMA	RAVINDRAN P	F	03-Sep-77	GE, WE, WD	GENF	WD		RAJSAMAND	रा.वरि.उपा.सं.वि., थोरिया,	कुम्भलगढ	राजसमन्द
11	22	 	RAKHI DEWARA	SUNDAR LAL DEWARA	F	11-Oct-88	SC, WE, RG	SCF			SIKAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कांवट,	खण्डेला	सीकर
12	23	 	ARCHANA MEENA	MOTI LAL MEENA	F	25-Jul-86	ST, WE, NG	STM			TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., करिरीया,	निवाई	टोंक

RajKaj Ref
5495846

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:22 IST
Reason: Approved

13	26		JAINENDRA BHARTI	KAILA SAHAY MEENA	M	03-Jul-97	ST	STM			KARAU LI	रा.वरि.उपा.सं.वि., गालदकलां,	बौली	सवाईमाधोपुर
----	----	---	------------------	-------------------	---	-----------	----	-----	--	--	----------	---------------------------------	------	-------------

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

- एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग प्राधिकृत है।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित वर्गों से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

On 08/04/2024 at 17:23:22 IST

Reason: Approved

13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
इन्हें उक्त नियुक्ति उपरान्त पदस्थापित स्थान पर दिनांक- 13.02.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

- श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
- संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
- संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
- संबंधित अभ्यर्थी।
- संरक्षण पंजिका।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495848Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:22 IST
Reason: Approvedआयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/



जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' /प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/सा.व्याकरण/RPSC/2022-23/931 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्त राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	1		ANUPRIYA TRIPATHI	DEVAKINANDAN TRIPATHI	F	06-Feb-91	GE,WE,RG,EW S	GENF			BHILWARA	रा.वरि.उपा.सं.वि., बरौलीधाऊ,	कामां	डीग
2	23		MANISHA JAIF	MAHAVEER PRASAD MEENA	F	15-Jul-96	ST,WE,TE	एकल			SIKAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., ओबरी,	सागवाडा	डूंगरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:56 IST

Reason: Approved

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्कैन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

- एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गुजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचिंत पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-आ/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
- आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495908

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:56 IST
Reason: Approved

15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

विशेष- विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः ये अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित हों। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करवायें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक- 13.02.2024** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495908

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:56 IST
Reason: Approved

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/


जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/सा.व्याकरण/RPSC/2022-23/2549 दिनांक 01.02.2024 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	7		BRIJARAJ BHARDWAJ	GIRRAJ PRASAD BHARDWAJ	M	27-07-87	GE,NG, RG	GENM			Bharatpur	रा.वरि.उपा.सं.वि., बसेड़ी	बसेड़ी	धौलपुर

संबंधित सभागतीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्कैन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।

4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रिमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावें।

8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबारी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-गुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावें।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

विशेष- विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः ये अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात् ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित होंगे। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करवायें।

RajKaj Ref

5206091

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक- 11.03.2024** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5906091

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/



जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/सा.व्याकरण/RPSC/2022-23/931 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्त राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-सामान्य व्याकरण






S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	2		VIMLESH KUMAR SHARMA	CHIRANJI LAL SHARMA	M	10-Jul-94	GE, RG	GENM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., हरनाथपुरा,	बसवा	दौसा
														

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495888






Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:05 IST
Reason: Approved

2	3	 रमेश कुमार	RAMESH KUMAR	DEVKARAN	M	07-Jul-91	BC	GENM		JHUNJHUNU	रा.वरि.उपा.सं.वि., लूदी झाबर,	राजगढ	चुरु
3	4	 सुनिल कुमार शर्मा	SUNIL KUMAR SHARMA	GAJANAND SHARMA	M	10-Jun-97	GE,EWS	GENM		DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., तलाबगांव,	लालसोट	दौसा
4	5	 गोविंद शर्मा	GOVIND NARAYAN SHARMA	BHAWANI SHANKER SHARMA	M	23-Apr-91	GE,RG	GENM		DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., बहरावण्डा,	सिकराय	दौसा
5	6	 Vyanktesh	VYANKTESH KUMAR BHARADWAJ	MUKUND KUMAR BHARADWAJ	M	06-Jun-98	GE,EWS	GENM		TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., करीरिया,	निवाई	टोंक
6	8	 कृष्ण वैशनाव	KRISHAN VAISHNAV	NAND KISHOR VAISHNAV	M	15-Aug-96	BC	GENM		TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., मीणों की झोंपड़ी,	उनियारा	टोंक

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495888









Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:05 IST
Reason: Approved

7	9	 दीपा शर्मा	DEEPA SHARMA	GIRRAJ PRASAD SHARMA	F	02-Feb-99	GE,WE,RG,EW S	GENF	एकल	DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., देवनवाड़ा,	नांगल राजावतान	दौसा
8	10	 उदय शर्मा	UDAY SHARMA	DAMODAR PRASAD SHARMA	M	14-Aug-97	GE,EWS	EWSM		SIKAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., नीम का थाना,	नीम का थाना	नीम का थाना
9	11	 गजेन्द्र	GAJENDRA	RADHESHYAM JI	M	12-Jul-98	BC	OBCM		BARMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., काटाड़ी,	सिवाना	बालोतरा
10	12	 अशोक	ASHOK KUMAR	GOPI KRISHNA	M	11-Nov-95	GE,RG,EWS	EWSM		CHURU	रा.वरि.उपा.सं.वि. ,तारानगर,	तारानगर	चुरू
11	13	 दिनेश चौधरी	DINESH CHOUDHARY	SHIVJI RAM	M	05-Jan-96	BC,RG	OBCM		NAGAUER	रा.वरि.उपा.सं.वि., लाम्बा जाटान,	मेडता	नागौर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495888











Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:05 IST
Reason: Approved

12	14	 	RAM RATAN	DHAGALA RAM	M	01-Jan-92	BC, RG	OBCM			NAGAUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोगास,	डेगाना	नागौर
13	15	 	MAUSAM KUMHAR	BANWARI LAL KUMHAR	F	14-Jun-96	BC, WE	OBCF			JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., विराटनगर,	विराटनगर	जयपुर ग्रामीण
14	16	 	KASHMEER SINGH	MAKKHAN SINGH	M	15-Sep-96	SC	SCM			HANUMANGAR H	रा.वरि.उपा.सं.वि., 5 सीएचएम, कांकडवाड़ा,	लूणकरणसर	बीकानेर
15	17	 	BHARAT LAL BAIRWA	KANHAIYA LAL BAIRWA	M	01-Sep-85	SC, RG	SCM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., बड़ाबास बालाहेडा,	बान्दीकुई	दौसा
16	18	 	AMARA RAM	DHANNA RAM	M	10-Aug-96	MB	MBCM			JALORE	रा.वरि.उपा.सं.वि., बल्दरा,	सिरोही	सिरोही

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495888


Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:05 IST
Reason: Approved

17	19	 DHARAM SINGH BAIRWA	BABU LAL BAIRWA	M	08-Jan-94	SC, RG	SCM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटकासिम,	कोटकासिम	खैरथल तिजारा
													
18	20	 PRASADEE LAL MEENA	MEETHA LAL MEENA	M	15-Jul-94	ST, RG	STM			SAWAIMADHOPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., गालदकलां,	बौली	सवाईमाधोपुर
													
19	21	 DAYARAM MEENA	JAGANNATH MEENA	M	14-Oct-91	ST, RG	STM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., पाली,	रैणी	अलवर
													
20	22	 RAMESH CHAND MEENA	BADRI LAL MEENA	M	04-Jul-93	ST	STM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., रैणी,	रैणी	अलवर
													
21	24	 BEENA VERMA	OM PRAKASH VERMA	F	06-Oct-90	SC, WE	SCF			JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., किशनगढ़ रेनवाल,	कि.रेनवाल	जयपुर
													

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495888

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:05 IST
Reason: Approved

22	25		KAILASH KUMAR YADAV	HANUMAN SAHAY YADAV	M	20-Feb-83	BC,LD,RG	OBCM	LD	JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कालच्या,	शाहपुरा	जयपुर ग्रामीण
----	----	---	---------------------------	------------------------	---	-----------	----------	------	----	--------	--------------------------------	---------	------------------

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्कैन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रिमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

- एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबारी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आय एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों का जांच अनावश्यक रूप से नहीं करें।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु निम्न सूचनाएं देना आवश्यक है।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 04.04.2003 के अनुसार सक्षम अधिकारी से अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जारी किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

Designation: Commissioner

Date: 2024.02.02 17:23:05 IST

Reason: Approved

13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावे।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक- 13.02.2024** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

- श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
- संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरु)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
- संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
- संबंधित अभ्यर्थी।
- संरक्षण पंजिका।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495888Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:23:05 IST
Reason: Approvedआयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/


जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' /प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/व्याकरण/RPSC/2022-23/933 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-व्याकरण) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-व्याकरण

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	1		ANUPRIYA TRIPATHI	DEVAKINANDAN TRIPATHI	F	06-Feb-91	GE,WE,RG,EW S	GENF			BHILWARA	रा.वरि.उपा.सं.वि., सूरजगांव,	गलियाकोट	डूंगरपुर

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्कैन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को पदग्रहण के लिए अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग : अजमेर द्वारा जारी आवेदन पत्र के पृष्ठगत स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।



Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:40 IST
Reason: Approved

3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गुजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण **राजकीय शैक्षिक** अध्यापक, शिक्षा परिषद द्वारा जारी **संबंधी प्रमाण पत्र** प्राप्त कर कार्यारम्भ करावे।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक **5495944** का **प.7(3)** कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक **14.10.2013** के अनुसार धूपपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता **(Undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:40 IST

Reason: Approved

विशेष- विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः ये अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित होंगे। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करवायें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरान्त पदस्थापित स्थान पर दिनांक- 13.02.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495944

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:40 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/


जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/व्याकरण/RPSC/2022-23/933 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-व्याकरण) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधिनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-व्याकरण

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	2		SUNITA CHOUDHARY	GOPAL LAL CHOUDHARY	F	02-Jul-96	BC,WE	OBCM		एकल	JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., जसवन्तपुरा,	शाहपुरा	जयपुर ग्रामीण

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को पदग्रहण करने के लिए अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग : अजमेर द्वारा जारी सेवापत्र के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।



Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:48 IST
Reason: Approved

3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गुजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण **राजकीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी** संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावे।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक **5495928** का कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:48 IST

Reason: Approved

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक— 13.02.2024** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495928

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:48 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/


जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' /प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/हिन्दी/RPSC/2022-23/937 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के **नियम 6** के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (**प्राध्यापक-हिन्दी**) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है—

- उक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्त राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-हिन्दी

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	26		RAMGOPAL KUMHAR	RAMCHANDRA KUMHAR	M	13-Jul-82	BC, EX	OBCM	EX		AJMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., चिखली,	चिखली	डूंगरपुर

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे—

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को पदग्रहण के पूर्व अपने अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग : अजमेर द्वारा जारी आवेदन पत्र के पृष्ठगत स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।



Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:23 IST
Reason: Approved

3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गुजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु० के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण **राजकीय शैक्षिक** अध्यापक, शिक्षा परिषद द्वारा जारी **संबंधी प्रमाण पत्र** प्राप्त कर कार्यारम्भ करावे।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5495976 **राजकीय शैक्षिक** अध्यापक, शिक्षा परिषद द्वारा जारी **संबंधी प्रमाण पत्र** प्राप्त कर कार्यारम्भ करावे।

(Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:23 IST

Reason: Approved

विशेष-विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः ये अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित होंगे। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करवायें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरान्त पदस्थापित स्थान पर दिनांक- 13.02.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495976

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:23 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/



जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' /प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/हिन्दी/RPSC/2022-23/937 दिनांक 20.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-हिन्दी) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्त राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधधीन है।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकरिमिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-हिन्दी

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	1		JAI PRAKASH JYANI	JAGDISH JYANI	M	20-Oct-98	BC	GENM			BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., 23 बी.बी. पदमपुर,	पदमपुर	श्रीगंगानगर
2	2		JAI KUMAR	RAMESH CHAND	M	12-Jun-91	BC	NG BC			DHOLPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सरमथुरा,	सरमथुरा	धौलपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref 5495960








Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST
Reason: Approved

3	3	 	BUDDHA DAN	NARAYAN DAN	M	26-Nov-97	BC	GENM			BARMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., बोरावास,	बालोतरा	बालोतरा
4	4	 	PRIYANKA BAI	BIRENDRA SINGH YADAV	F	13-Dec-96	BC, WE	GENF			ALWAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., नौगांवा,	राजगढ	अलवर
5	5	 	KHYALI RAM SAINI	JAGDISH PRASHAD SAINI	M	15-Jul-90	BC	GENM			JHUNJHUNU	रा.वरि.उपा.सं.वि., चिराणा,	नवलगढ	झुंझुनू
6	6	 	DASHRATH KUMAR YADAV	HANUMAN PRASAD YADAV	M	01-Jan-91	BC, RG	GENM			TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., गलोद,	पीपलू	टोंक
7	7	 	NARSINGA RAM	PEERA RAM	M	15-Nov-95	BC	GENM			BARMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., बायतू स्टेशन,	बायतू	बालोतरा

Signature Not Verified






RajKaj Ref
5495960Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST
Reason: Approved

8	8	 दिनेश	DINESH KUMAR	GANPAT RAM	M	05-May-96	BC	GENM		JALORE	रा.वरि.उपा.सं.वि., कूकणों की ढाणी-घटियाली,	घटियाली	फलौदी
9	9	 कुसुम	KUSUM KUMARI VAISHNAV	TULASI DAS VAISHNAV	F	02-Feb-80	BC, WE, RG	GENF		UDAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सवीना खेड़ा,	गिर्वा	उदयपुर
10	10	 Mamta Devanda	MAMTA DEVANDA	JAGDISH PRASAD	F	03-Nov-92	BC, WE	OBCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., विराटनगर,	विराटनगर	जयपुर ग्रामीण
11	11	 Jetha	JETHA RAM	KUMBHA RAM	M	10-Jul-85	BC	OBCM		BARMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., पोकरण,	साकडा	जैसलमेर
12	12	 Tola Ram Jakhar	TOLA RAM JAKHAR	TEJARAM JAKHAR	M	08-Jul-88	BC	OBCM		BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., बेवड़,	राजगढ	चुरु

Signature Not Verified






RajKaj Ref
5495960

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST
Reason: Approved

13	13	 Reshma Kanwar	RESHMA KANWAR	NARPAT SINGH	F	24-Nov-93	GE,WE,EWS	EWSM	एकल	NAGPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोगास,	डेगाना	नागौर
14	14	 Damara Ram	DAMARA RAM	PURKHA RAM	M	05-Aug-94	MB	MBCM		JALORE	रा.वरि.उपा.सं.वि., 95 आरडीएस एलडी सुल्ताना	मोहनगढ	जैसलमेर
15	15	 Rani	RANI DEVI	MAG SINGH	F	24-Nov-90	GE,WE,EWS	EWSM		JODHPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेरगढ,	शेरगढ	जोधपुर ग्रामीण
16	16	 Pinki	PINKI MEENA	RAMPRATAP MEENA	F	16-Sep-97	ST,WE	STM	एकल	JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कोटपुतली,	कोटपुतली	कोटपुतली बहरोड
17	17	 Rajendra Kumar	RAJENDRA KUMAR	PRITHVI RAJ	M	24-May-85	SC	SCM		HANUMANG ARH	रा.वरि.उपा.सं.वि., साबूवाना,	टिब्बी	हनुमानगढ

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495960Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST
Reason: Approved

18	18	 सुरेश	SURESH CHAND MEENA	KALUVA RAM MEENA	M	06-Feb-92	ST	STM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., तलाबगांव,	लालसोट	दौसा
19	19	 Kamlesh	KAMALESH KUMARI DHANWANTA	JAGADISH PRASAD DHANWANTA	F	14-May-94	SC, WE	SCF			ALWAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., पाली,	रैणी	अलवर
20	20	 लक्ष्मी	LAXMI CHOUDHARY	AMARA RAM CHOUDHARY	F	31-Oct-82	BE, WE, LD, RG	OBCF	LD		BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., शेखसरबास खोडाला,	लूणकरणसर	बीकानेर
21	21	 Mukesh	MUKESH KUMAR TAK	HARJI RAM TAK	M	01-Jun-90	SC, RG	SCM			AJMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., कुण्डगोट सांवर,	सावर	केकडी
22	22	 दुर्गराम सर्गार	DURGA RAM SARGARA	SHRI RAM	M	15-Dec-96	SC	SCM			JODHPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., चौड़ा,	बिलाडा	जोधपुर ग्रामीण

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495960

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST
Reason: Approved

23	23	 Richhpal	RICHHPAL	MADHU RAM MEGHWAL	M	01-Jan-93	SC	SCM			NAGPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., लाम्बा जाटान,	मेडता	नागौर
24	24	 Hanuman Ram	HANUMAN RAM	BHURA RAM	M	06-Dec-94	SC	SCM			BIKANER	रा.वरि.उपा.सं.वि., 35 एमओडी,	पीलीबंगा	हनुमानगढ
25	25	 Badam Meena	BADAM MEENA	RAMJILAL MEENA	F	14-Jan-98	ST, WE	STM		एकल	SAWAIMAD HOPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., जस्टाना,	बौली	सवाईमाधोपुर
26	27	 Ramesh Bai Meena	RAMESH BAI MEENA	RAM DHAN MEENA	F	06-Jun-85	ST, WE, RG	STF			SAWAIMAD HOPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., नई बस्ती सुकार,	बामनवास	गंगापुर सिटी
27	28	 Savita Gaur	SAVITA GAUR	HUKMI CHAND GAUR	F	15-Sep-84	GE,WE,WD, RG, EWS	GENF WD			JODHPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., कुडी भगतासनी आवासन मण्डल,	लूणी	जोधपुर ग्रामीण

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495060

Digitally signed by Suresh Kumar

Designation: Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:31 IST

Reason: Approved

संबंधित सभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही के रूप से सम्पादित करेंगे-

1. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्कैन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पहले नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर नियुक्त होने के लिए योग्य है।

2. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

8. एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेवारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवे।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अधुनीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:31 IST

Reason: Approved

17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर दिनांक- 13.02.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावरिउपासवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495960

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:31 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/



जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क' / प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा) / साहित्य / RPSC / 2022-23 / 852 दिनांक 16.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-साहित्य) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधधीन है।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-साहित्य

S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	4	 प्रियाराजपूत	PRIYA RAJPOOT	AMAR SINGH RAJPOOT	F	25-Dec-92	GE,WE,EWS	GENM			HANUMANG ARH	रा.वरि.उपा.सं.वि., मुण्डरू,	श्रीमाधोपुर	नीम का थाना
2	8	 सुनिलकुमारसैनी	SUNIL KUMAR SAINI	BHARAT SAINI		16-May-97	BC, JCM				JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., बोरावास,	बालोतरा	बालोतरा

Signature Not Verified


Digitally signed by Suresh Kumar

Ola

Designation : Commissioner

Date: 2024.02.02 17:22:05 IST

Reason: Approved

3	14		NILAM MEENA	HARI SINGH MEENA	F	05-Nov-94	ST,WE	STM			KARAU LI	रा.वरि.उपा.सं.वि., मोतीकुआँ,	सुल्तानपुरा	कोटा
---	----	---	-------------	------------------	---	-----------	-------	-----	--	--	----------	---------------------------------	-------------	------

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्कैन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

- एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र हो
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/541/2002 दिनांक 04.04.2003 के अनुसार सक्षम अधिकारी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयों के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Designation: Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:05 IST
Reason: Approved

13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावें।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

विशेष-विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को आयोग के निर्देशानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। उक्त सभी अभ्यर्थियों द्वारा अनुपस्थित रह कर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया। अतः ये अभ्यर्थी कार्यारम्भ से पूर्व निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ हेतु उपस्थित होंगे। इन अभ्यर्थियों को कार्यारम्भ कराने से पूर्व इनके संबंध में निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा जारी दस्तावेज सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यारम्भ करवायें।

इन्हें उक्त नियुक्ति उपरांत पदस्थापित स्थान पर **दिनांक- 13.02.2024** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावारिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अधिवक्ता, जयपुर एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

RajKaj Ref
5496002

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:05 IST
Reason: Approved

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/


जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6 ए(02) परीक्षा 'क'/प्राध्यापक(संस्कृत शिक्षा)/साहित्य/RPSC/2022-23/852 दिनांक 16.10.2023 द्वारा प्राप्त अभिस्तावना के क्रम में राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम में परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्राध्यापक-साहित्य) के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है-

- उक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार 31,100/- (L-12) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक मान0 उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। पहले ही राज्य सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत एवं चयनित अभ्यर्थियों का वेतन राजस्थान सेवा नियम 24 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुज्ञात किया जायेगा।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगे।
- यह नियुक्ति राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में आरजीएचएस एवं सामान्य प्रावधानी निधि की कटौती होगी परन्तु राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियम 26 के अनुसार प्राध्यापक की पे-मेट्रिक्स लेवल-12 में किया जायेगा।

प्राध्यापक-साहित्य









S. No.	MERIT NO	PHOTO	NAME	Father's Name	G	DOB	Category	Sel. Categor	Spe. Cate.	STATUS	Home Dist.	Name of School	P.S.	Dist.
1	1		ADITI DADHICH	ASHOK KUMAR JOSHI	F	25-Mar-98	GE,WE	GENM		एकल	AJMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., पुष्कर,	पुष्कर	अजमेर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495988











Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:14 IST
Reason: Approved

2	2	 	KIRAN KANWAR	SHIMBHU SINGH	F	01-Jan-92	BC,WE,NG,RG	GENM			JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., मंशारामपुरा,	झोटवाड़ा	जयपुर ग्रामीण
3	3	 	GUNJAN GUPTA	KRISHNA KUMAR BANSAL	F	14-Mar-83	GE,WE,NG,RG	GENM			AJMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., वार्ड नं. 1 विजयनगर,	मसूदा	ब्यावर
4	5	 	BHAGYASHREE SHARMA	SHYAM LAL SHARMA	F	12-Oct-96	GE,WE,EWS	GENF			BHILWARA	रा.वरि.उपा.सं.वि., सांगरिया,	शाहपुरा	शाहपुरा
5	6	 	SONOO SHARMA	PREM NARAYAN SHARMA	F	03-Sep-87	GE,WE,RG,EW S	GENF		एकल	DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., देवनवाड़ा,	नांगल राजावतान	दौसा









Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495988Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:14 IST
Reason: Approved

6	7	 	AMIT KUMAR PAREEK	NATVAR PAREEK	M	30-Jul-95	GE,EWS	GENM			TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., गलोद,	पीपलू	टोंक
7	9	 	BINDIA SAHU	INDER MAL SAHU	F	01-Nov-96	BC,WE	OBCM	एकल		TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., सीतारामपुरा,	पीपलू	टोंक
8	10	 	AVINASH KUMAR BHARDHVAJ	KAILASH BHARDHVAJ	M	25-Apr-88	GE,EWS	EWSM			SAWAIMAD HOPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सुकार,	बामनवास	गंगापुर सिटी
9	11	 	MANJU KUMARI	RAM SINGH	F	01-Jan-86	BC,WE	OBCF			ALWAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., रैणी,	रैणी	अलवर

Signature Not Verified







RajKaj Ref
5495988Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:14 IST
Reason: Approved

10	12	 	ANKIT KUMAR SHARMA	BALKRISHNA SHARMA	M	15-Feb-94	GE,NG,EWS	EWSM			TONK	रा.वरि.उपा.सं.वि., मीणों की झोंपड़ियां, बनेटा,	उनियारा	टोंक
11	13	 	RAM LAXMAN VAISHNAV	TULSI RAM	M	03-Jan-87	BC,NG,RG	OBCM			AJMER	रा.वरि.उपा.सं.वि., महरुकलां,	सावर	केकडी
12	15	 	RAMKESH MEENA	LADU RAM MEENA	M	06-Jul-85	ST,RG	STM			JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., भानपुरकलां,	जमवारामगढ़	जयपुर ग्रामीण
13	16	 	SUMAN MEENA	RAMJI LAL MEENA	F	06-Jul-86	ST,WE	STM			DAUSA	रा.वरि.उपा.सं.वि., हरनाथपुरा,	बसवा	दौसा

Signature Not Verified


RajKaj Ref
5495988

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:14 IST
Reason: Approved

14	17	 	PRAVEEN KUMAR HARSOLIYA	SHYAM LAL HARSOLIYA	M	10-Oct-90	SC,RG	SCM		JAIPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सामोद,	गोविन्दगढ़	जयपुर ग्रामीण
15	18	 	SAROJ KASANA	SHEESH RAM GURJAR	F	15-Aug-95	MB,WE,RG	MBCM		KARAULI	रा.वरि.उपा.सं.वि., जस्टाना,	बौली	सवाईमाधोपुर
16	19	 	MUKESH KUMAR BALAI	CHATRA RAM BALAI	M	22-Mar-96	SC,RG	SCM		RAJSAMAND	रा.वरि.उपा.सं.वि., थोरिया,	कुम्भलगढ़	राजसमन्द
17	20	 	BHAGIRATH MAL VERMA	RAMCHANDRA VERMA	M	15-Jan-94	SC	SCM		SIKAR	रा.वरि.उपा.सं.वि., चक-गोपीनाथपुरा,	दातारामगढ़	सीकर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495988Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:14 IST
Reason: Approved

18	21	 <i>Hemant Kumar Sharma</i>	HEMANTKUMAR SHARMA	PRABHUDAYAL SHARMA	M	04-Oct-90	GE,LD	GENM	LD	BHARATPUR	रा.वरि.उपा.सं.वि., सहनावली,	सेवर	भरतपुर
----	----	---	--------------------	--------------------	---	-----------	-------	------	----	-----------	--------------------------------	------	--------

संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी/संकुल प्रभारी आदेश अंकित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे-

- आवेदन पत्र में चस्पा फोटो को स्केन कर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश में अंकित किया गया है अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से अंकित फोटो एवं हस्ताक्षर का कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने आयोग की परीक्षा दी है, वही अभ्यर्थी नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर रहा है।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत (समान पद न हो) कार्मिक के विधिवत कार्यमुक्त होकर आने पर यह आवश्यक नहीं होगा।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावे। दस्तावेज मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के पर जारी किया हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित महिला आवेदकों में मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थी का आवेदन पत्र के साथ संलग्न अथवा पात्रता जांच के समय आयोग को प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना हो तो ऐसा अभ्यर्थी उक्तानुसार संलग्न/प्रस्तुत किये

गये प्रमाण पत्र के पश्चात् से कार्यग्रहण करते समय तक क्रिमिलेयर की श्रेणी में नहीं रहा/आया हो इसकी पुष्टि हेतु नवीन प्रमाण पत्र अथवा इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावे।

- एम.बी.सी. में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र में उनकी जाति (1-बंजारा, बालदिया, लबाना, 2-गाडिया लोहार व गाडोलिया, 3-गूजर, गुर्जर, 4- राईका, रेबारी (देबासी), 5- गडरिया (गाडरी), गायरी) अंकित होने पर मान्य होगा परन्तु वर्तमान में एम.बी.सी. का अभ्यर्थी होने एवं उक्त प्रमाण पत्र शीघ्र बनवाकर प्रस्तुत करने की वचनबद्धता अवश्य प्राप्त करें।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) में आवेदित अभ्यर्थी के पास राजस्थान के मूल निवासी के साथ-साथ सामान्य श्रेणी (राजस्थान राज्य के मूल निवासी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अतिपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं) का जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इस श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों हेतु कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के प्रावधान लागू होंगे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी की पात्रता, वर्ग, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्र के साथ-साथ प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/-रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु जमाना कब्जा किया जावे।
- कार्यग्रहण कराने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सूचित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar

Reason: Approved

Date: 2024.02.02 17:22:14 IST

13. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
14. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।
15. राज्य के बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यक्षीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं वैध व मान्य नहीं पाये जाने की स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
16. अभ्यर्थी से प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले संस्थान की परीक्षा उत्तीर्ण सत्र की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यारम्भ करावें।
17. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
- इन्हें उक्त नियुक्ति उपरान्त पदस्थापित स्थान पर दिनांक- 13.02.2024 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति/पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना तत्काल अथवा कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात तत्काल कार्यालय की ई-मेल sans.lect.2022@gmail.com पर प्रेषित कर उसकी प्रति डाक द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।

(सुरेश कुमार ओला)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.23(3)/प्राध्यापक/2021/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. श्रीमान् शासन उप सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला
6. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूरू)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, रावारिउपासंवि को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थी के कार्यारम्भ करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. संरक्षण पंजिका।

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5495988Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.02.02 17:22:14 IST
Reason: Approved

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर